संख्या-ई.11012/2/2013-हिंदी

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 13 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय - राजभाषा नीति और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में

यह देखा गया है कि मंत्रालय के मुख्यालय स्थित विभिन्न अनुभागों में भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। अनुभागों के कार्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन राजभाषा नीति के बारे में अनभिज्ञता के कारण हो रहा है।

2. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प, 1968 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में काम-काज करना और उसका विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3. राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (3) में यह कहा गया है कि निम्नलिखित 14 प्रकार के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएं -

(i)	सामान्य आदेश	(vi)	प्रेस विज्ञप्तियां	(xi)	अनुज्ञापत्र
(ii)	संकल्प	(vii)	सरकारी कागज पत्र	(xii)	टेंडर नोटिस
(iii)	नियम	(viii)	संविदाएं	(xiii)	टेंडर फार्म
(iv)	अधिसूचनाएं	(ix)	करार	(xiv)	संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट
(v)	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	(x)	अनुज्ञप्तियां		

मंत्रालय के सभी अनुभागों से इन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अपेक्षित है। द्विभाषी रूप में जारी करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी चेकप्वाइंट होते हैं।

4. राजभाषा नियम, 1976 में भारत के भौगोलिक प्रदेश को हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार की स्थिति के अनुसार तीन क्षेत्रों में बांटा गया है - 'क' क्षेत्र, 'ख' क्षेत्र और 'ग' क्षेत्र। क क्षेत्र में मुख्यत: हिंदी भाषी प्रदेश आते हैं, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली। ख क्षेत्र में वे प्रदेश हैं जहां हिंदी मुख्य भाषा नहीं है किंतु जहां हिंदी व्यापक रूप में बोली और समझी जाती है, अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली। ग क्षेत्र में वे प्रदेश शामिल हैं जहां हिंदी का प्रयोग कम है अर्थात् वे प्रदेश जो क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

राजभाषा विभाग दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प के अनुसरण में जारी वर्ष 2014-15 के लिए मुख्यालय का 'संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम' में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हमारे मंत्रालय द्वारा 'क' क्षेत्र और 'ख' क्षेत्र को 100% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए और 'ग' क्षेत्र 65% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। फाइलों में लिखी गई टिप्पणियों का 75% हिंदी में होनी चाहिए और हमारे मंत्रालय की वेबसाइट 100% द्विभाषी होनी चाहिए।

जारी....

5. राजभाषा नियम 10(4) के अनुसार भारत सरकार के किसी कार्यालय में सभी कर्मियों की कुल संख्या के 80% को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो जाने पर उस कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित कार्यालय के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों के लिए 'क' और 'ख' क्षेत्र के केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप हिंदी में प्रस्तुत करना, किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन या अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी देना और संबंधित पत्रावलियों पर टिप्पणियां हिंदी में करना अनिवार्य है।

ऐसा सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों के लिए हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को नामश: आदेश जारी किए जाते है कि वे अपना विनिर्दिष्ट काम केवल हिंदी में करें। मंत्रालय के दिनांक 25 सितंबर, 2013 के का.आ. संख्या ई-11016/1/2013-हिंदी द्वारा 45 कर्मचारियों को आदेश में विनिर्दिष्ट काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिए गए हैं।

6. माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत 8वें प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई टिप्पणी और राष्ट्रपति महोदय द्वारा सिफारिशों की स्वीकृति के प्रश्चात् राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 21 जुलाई, 2008 के संकल्प संख्या-I/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-1) के अनुसार **मंत्रालय द्वारा विज्ञापनों पर कुल व्यय का 50% हिंदी पर खर्च किया जाना आवश्यक है।**

7. क क्षेत्र में स्थित होने के नाते कारपोरेट कार्य मंत्रालय मुख्यालय द्वारा बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किया जाना चाहिए और, यदि उसका परिचालन केवल 'क' क्षेत्र में किया जाना हो तो, इन्हें मात्र हिंदी में जारी किया जा सकता है।

8. कृपया उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उचित उपाय किए जाएं।

9. इसे संयुक्त सचिव (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(क्षितीश कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

मंत्रालय के मुख्यालय स्थित सभी अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक

प्रतिलिपि -

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी अवर सचिव/उप निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी/विशेष सचिव, संयुक्त सचिव(एम), संयुक्त सचिव(बी), संयुक्त सचिव(एएम), संयुक्त सचिव(एसपी), डीआईआई(एनएस), डीआईआई(नीति) के पीपीएस/पीएस।

(क्षितीश कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव